न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

86 / 2025

श्री प्रभुलाल मीणा निवासी यशोदानन्दनपुरा पोस्ट तुर्किया तहसील निवाई जिला टोंक

--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> दिनांक 09.10.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 4.08.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

1. मुकदमा संख्या 28/2025 व 30/2025 नरसी बनाम गंगाधर आदेश दिनांक 18. 02.2025 के नोटिस गंगाधर को किस माध्यम से भेजे गए रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट एवं किस दिनांक को भेजे गए जावक रजिस्टर की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें ।
2. मुकदमा संख्या 28/2025 व 30/2025 नरसी बनाम गंगाधर आदेश दिनांक 18. 02.2025 के नोटिस जो गंगाधर को भेजे गए उनकी प्रतिपुष्टि हेतु पावती दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि देने की कृपा करें।
3. मुकदमा संख्या 28/2025 व 30/2025 नरसी बनाम गंगाधर आदेश दिनांक 18.02.2025 के निर्णयों की सत्यापित प्रतिलिपियों समस्त अनुलग्नकों सहित उपलब्ध करावें।
4. मुकदमा संख्या 29/2025 व 31/2025 नरसी बनाम प्रभु वगेरह आदेश दिनांक 18.02.2025 के निर्णयों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ समस्त अनुलग्नकों सहित उपलब्ध करावें।
5. मुकदमा संख्या 29/2025 व 31/2025 नरसी बनाम प्रभु वगेरह आदेश दिनांक 18.02.2025 के नोटिस प्रभु लाल को किस माध्यम से भेजे गए रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट एवं किस दिनांक को भेजे गए जावक रजिस्टर एवं रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट फोटो की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें ।
6. मुकदमा संख्या 29/2025 व 31/2025 नरसी बनाम प्रभु वगेराह आदेश दिनांक 18.02.2025 के नोटिस जो प्रभु लाल को भेजे गए उनकी प्रतिपुष्टि हेतु पावती दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि देने की कृपा करें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1874 दिनांक 24.09.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 914 दिनांक 06.10.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध राजस्व अपील अधिकारी टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 912 दिनांक 06.10.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए

723

जिला कलेक्टर

टोंक

पत्र कमांक 913 दिनांक 06.10.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट राजस्व अपील अधिकारी टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)